प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
जी0टी0 रोड,
कानपुर।

सेवा में,

**जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति,
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना,
---------------------।

पत्र संख्याः 4509-619/बा0श्र0एन0सी0एल0पी0/11 दिनांकः 29/07/ 2011

**विषयः** <u>राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सुचारू संचालन हेतु दिशा-निर्देश ।</u>

महोदय,

शासनादेश संख्याः 1140(1)/31-3-2011, दिनांकः 31.05.2011 व तत्क्रम में शासनादेश संख्याः 1319/36-3-11, दिनांकः 4-7-2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के स्तर से कर ली जाय, समीक्षोपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उनका संचालन संबिदा शर्तों के अनुसार होने दिया जाय। यदि गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का कार्य समीक्षा के उपरान्त असंतोषनक पाया जाय तो तब संविदा शर्तों के अनुरूप नियमानुसार उनका संचालन समाप्त करने की कार्यवाही की जाय। नये विद्यालयों का संचालन जिला स्तर पर गठित ''जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति'' द्वारा किया जाये, यदि समिति के माध्यम से संचालन करने में कोई कठिनाई हो तो ऐसी स्थिति में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम सें विद्यालय के संचालन का कार्य श्रम आयुक्त/शासन की अनुमति से किया जाय।

सूचनीय है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार दिशा-निर्देश पूर्व में ही सभी परियोजना जिलों में उपलब्ध है इसके अतिरिक्त प्रदेश शासन व श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर परियोजना के सुचारू संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

वर्तमान में उपरोक्त शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य सभी परियोजना जिलों में परियोजना के संचालन में एकरूपता लाने व परियोजना स्टाफ का दायित्व निर्धारित करने व परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन/सर्वेक्षण/अनुश्रवण/ समीक्षा को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कतिपय बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं :-

## 1. <u>बाल श्रमिकों का सर्वेक्षणः-</u>

परियोजना के अंतर्गत पूर्व में कराए गए सर्वेक्षणों से यह अनुभव हुआ है कि स्थानीय गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) के माध्यम से कराये गये सर्वेक्षण गुणवत्तापूर्ण नहीं थे। इस सम्बन्ध में श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना की विभिन्न समीक्षा बैठकों में यह अपेक्षा की गयी है कि सर्वेक्षण कार्य हेतु किसी अनुभवी शैक्षणिक/शोध संस्थान या विश्व विद्यालय के किसी ऐसे विभाग, की सेवायें लिया जाना उचित होगा जो सर्वेक्षण कार्य के क्षेत्र में दक्षता रखता हो, अतः इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

(क) खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत बाल श्रमिकों, जिनकी उम्र 9 से 14 वर्ष के बीच है, का चिन्हीकरण/सर्वेक्षण केवल किसी प्रतिष्ठित शिक्षण/शोध संस्थान, विश्व विद्यालय अथवा

विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित कोई विभाग, जो सर्वेक्षण कार्य का अनुभव रखता हो या दक्ष हो, से ही कराया जायेगा।

इस सम्बंध में श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश कार्यालय स्तर पर ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों को सूचीबद्व किया जा रहा है जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

(ख) उक्त सूची के अतिरिक्त भी यदि कोई शैक्षणिक/शोध संस्थान जिला समिति के संज्ञान में हो तो उसकी सेवायें श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अनुमति से ली जा सकती है।

(ग) किसी भी स्थानीय गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) की सेवाएं सर्वेक्षण कार्य हेतु नहीं ली जाएंगी।

(घ) सर्वेक्षण हेतु धनराशि परियोजना के बजटीय प्रावधानों के अनुरूप श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से जिला समिति द्वारा प्राप्त की जायेंगी तथा आपसी संविदा/बजटीय व्यवस्था के आधार पर सर्वेक्षण संस्थान को दी जायेंगी।

(च) सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र जिला समिति द्वारा तैयार प्रारूप के अनुसार ही सर्वेक्षण संस्थान द्वारा छपवाया जायेगा, यदि प्रारूप में संस्थान कोई सूचना बिन्दु जोड़ना या हटाना चाहता है तो जिला समिति की सहमति से ही ऐसा किया जायेगा।

(छ) सर्वेक्षण का कार्य 15 दिनों में पूरा किया जायेगा तथा सर्वेक्षण आख्या चिन्हांकित बाल श्रमिकों की सूची तथा प्रस्तावित विद्यालयों/अतिरिक्त विद्यालायों की संख्या एवं स्थान का विवरण अगले 15 दिनों में संस्थान द्वारा जिला समिति को उपलब्ध करा दिया जायेगा जिसके आधार पर जिला समिति विद्यालयों के संचालन/पुर्नसंचालन का प्रस्ताव श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगी।

## 2. <u>''जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति'' व ''परियोजना निदेशक'' के दायित्वः-</u>

(क) विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के संचालन का कार्य जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति द्वारा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के माध्यम से किया जायेगा।

(ख) परियोजना निदेशक, सभी दायित्वों के लिये समिति के अध्यक्ष/जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(ग) जिला समिति, अध्यक्ष के माध्यम से परियोजना निदेशक, परियोजना स्टाफ, जो मानदेय पर अपनी सेवाएं देंगे, की निगरानी करेंगे।

(घ) जिला समिति की बैठक अध्यक्ष/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी। बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त आदि तैयार करने, समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिशचित करने के लिये परियोजना निदेशक उत्तरदायी होगे।

(च) परियोजना निदेशक विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के संचालन, बच्चों की शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, बच्चों के चरित्र निर्माण, मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था, उनके अभिवावकों से सामंजस्य स्थापित करने, जिले में बाल श्रम के विरूद्व जन-जागरण आदि कार्यो का सम्पादन अपने अधीनस्थ स्टाफ के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

(छ) परियोजना निदेशक, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन एवं श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

(ज) परियोजना निदेशक माह में 50 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण एक बार अवश्य करेंगे।

(झ) परियोजना निदेशक, जिला समिति के अतिरिक्त श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आहूत बैठकों में जहॉ उन्हे भाग लेने हेतु निर्देशित किया जाता है, भाग लेना

सुनिश्चित करेंगें तथा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(ट) श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति विवरण (एम0पी0आर0) अगले माह की 3 तारीख तक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक उत्तरदायी होंगे।

(ठ) परियोजना निदेशक त्रैमासिक प्रगति विवरण तिमाही के अगले माह की 15 तारीख तक श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करने तथा प्रति श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(द) वार्षिक प्रगति विवरण (गत वित्तीय वर्ष का) 30 अप्रैल तक प्रत्येक दशा में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा तथा प्रति श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(ध) आडिटेड बैलेन्स शीट चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से तैयार कराकर तथा जिलाधिकारी/अध्यक्ष से प्रति हस्ताक्षरित कराकर प्रत्येक दशा में 15 मई तक श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी जिससे श्रम मंत्रालय द्वारा समय से धनराशि अवमुक्त करायी जा सके।

(न) श्रम मंत्रालय से प्राप्त धनराशि का समय से उपयोग करने तथा विवरण तैयार कर प्रेषित करने हेतु परियोजना निदेशक उत्तरदायी होगें।

## 3. परियोजना स्टाफ

परियोजना के संचालन हेतु श्रम एवं रोजगार भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न स्टाफ परियोजना कार्यालय व विद्यालय स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्त होंगे।

- *परियोजना कार्यालय स्तर पर*

| | | |
|---|---|---|
| i. | फील्ड आफीसर | एक जिले में 02 |
| ii. | लेखाकार | 01 |
| iii. | आशुलिपिक | 01 |
| iv. | चपरासी | 01 |
| v. | वाहनचालक | 01 (यदि वाहन क्रय हेतु धन उपलब्ध करायागया हो) |

- *विद्यालय स्तर पर*

| | | |
|---|---|---|
| i. | शिक्षा अनुदेशक | 02 |
| ii. | व्यवासायिक अनुदेशक | 01 |
| iii. | आया/ हेल्पर | 01 |
| iv. | क्लर्क | 01 |

**उक्त स्टाफ के अतिरिक्त बजटीय प्रावधानों के अनुरूप मास्टर ट्रेनर्स व चिकित्सक की सेवायें संविदा पर ली जायेंगी।**

## 3 (क) परियोजना स्टाफ की सेवाशर्तें, योग्यता, अर्हता व दायित्व

### (i) <u>फील्ड आफीसर</u>

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की बजटीय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक परियोजना जिले में 02 फील्ड आफीसर्स की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है। फील्ड आफीसर की योग्यता, अर्हता, दायित्व निम्नवत् होंगे :-

*शैक्षिक योग्यता* (क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री सहित अंग्रेजी व हिन्दी भाषा का उचित ज्ञान तथा कम्प्यूटर व इण्टरनेट संचालन से भिज्ञ हों।

*अनुभव* (ख) बाल श्रम /बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धित परियोजनाओं में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो।

*प्राथमिकता/वरीयता* (ग) समाज कार्य/समाज शास्त्र/अर्थशास्त्र में परास्नातक अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

*दायित्व* (घ) जिला समिति/परियोजना निदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा उनके द्वारा समय-समय पर सौंपे गए परियोजना के समस्त कार्यों का संपादन करेंगे।

(च) विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का शतप्रतिशत निरीक्षण फील्ड आफीसर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(छ) फील्ड आफीसर अपनी नियमित निरीक्षण टिप्पणी परियोजना निदेशक को प्रस्तुत करेंगे तथा परियोजना निदेशक को निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर परियोजना का मासिक प्रगति विवरण (संक्षिप्त नोट) तैयार करने में सहयोग करेंगे जो जिलाधिकारी/अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति एम0आई0एस0 के साथ श्रमायुक्त, उ0प्र0 को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(ज) श्रमायुक्त कार्यालय में उपलब्ध करायी जाने वाली एम0आई0एस0 को तैयार कराने में अन्य परियोजना स्टाफ का सहयोग करेंगे तथा उसमे विद्यालय संचालन से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं पर दी जाने वाली सूचना का सत्यापन भी करेंगे।

(झ) फील्ड आफीसर द्वारा विद्यालय स्टाफ की समय से उपस्थिति व सुव्यस्थित शिक्षण कार्य भी सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक निरीक्षण में कोई विद्यालय स्टाफ बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित पाया गया तो इसका उत्तरदायित्व भी फील्ड आफीसर का होगा।

### (ii) <u>लेखाकार (क्लर्क कम एकाउन्टेन्ट)</u>

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की बजटीय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक परियोजना जिले के परियोजना कार्यालय में 01 लेखाकार की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है। लेखाकार की योग्यता, अर्हता, दायित्व निम्नवत् होंगे :-

*शैक्षिक योग्यता* (क) किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कामर्स में इण्टरमीडिएट सहित अंग्रेजी व हिन्दी भाषा का उचित ज्ञान तथा कम्प्यूटर व इण्टरनेट संचालन से भिज्ञ हों।

*अनुभव* (ख) किसी भी सामाजिक क्षेत्र की परियोजना में लेखाकार संपादन का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो।

*प्राथमिकता/वरीयता* (ग) कामर्स में स्नातक अभ्यर्थियो को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

*दायित्व* (घ) लेखाकार जिला समिति/परियोजना निदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा परियोजना से सम्बन्धित समस्त लेखा/बैंक/बजट सम्बन्धी समस्त कार्यों का संपादन करेंगे।

### (iii) <u>आशुलिपिक</u>

*शैक्षिक योग्यता* (क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री सहित अंग्रेजी व हिन्दी भाषा का उचित ज्ञान, शार्टहैण्ड व कम्प्यूटर टंकण में भिज्ञ हों।

*अनुभव* (ख) किसी सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

*प्राथमिकता/वरीयता* (ग) परास्नातक अथवा आशुलिपिक व टंकण में दक्ष अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

*दायित्व* (घ) आशुलिपिक परियोजना निदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा उनके द्वारा समय-समय पर सौंपे गए परियोजना सम्बंधी समस्त कार्यों का संपादन करेंगे।

(iv) <u>चपरासी</u>

*शैक्षिक योग्यता* (क) किसी भी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय से कक्षा-5 की परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र

*प्राथमिकता/वरीयता* (ख) साइकिल चलाना आता हो।

*दायित्व* (ग) शारिरिक रूप से स्वस्थ्य एवं भाग-दौड़ करने में सक्षम हो।
परियोजना निदेशक के तथा कार्यालय सहायक के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(v) <u>वाहनचालक</u>

*शैक्षिक योग्यता* (क) किसी भी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय से कक्षा-8 की परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र व हिन्दी भाषा का उचित ज्ञान।

*अनुभव* (ख) वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव तथा वाहन चलाने का वैद्य लाइसेंस।

*दायित्व* (ग) परियोजना निदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा उनके द्वारा समय-समय पर सौंपे गए परियोजना सम्बंधी समस्त कार्यों का संपादन करेंगे।

## 4. विशेष बाल श्रमिक विद्यालय का गठन एवं संचालनः-

(क) प्रत्येक विद्यालय 50 छात्रों की उपलब्ध संख्या के आधार पर संचालित किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक विद्यालय स्तर पर सर्वेक्षण में चिन्हांकित बाल श्रमिकों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

(ग) एक परिवार के अधिकतम् दो छात्र, जो आयु में वरिष्ठ हो, को ही विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा, जिससे बाल श्रम से प्रभावित अधिकतम परिवार योजना का लाभ उठा सके।

(घ) विद्यालय में प्रवेशित सभी बाल श्रमिकों का प्रोफाइल (फोटोयुक्त) तैयार किया जायेगा तथा विद्यालय पर निरीक्षण के समय माँगने पर निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को अवलोकित कराया जायेगा।

4(i) <u>शिक्षा अनुदेशक</u>

*शैक्षिक योग्यता* (क) किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से इण्टरमीडिएट के साथ दो वर्ष के शिक्षण कार्य का अनुभव

*अनुभव* (ख) किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षण कार्य का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव

*वरीयता/प्राथमिकता* ग) किसी भी प्रकार के शिक्षण कार्य में सर्टीफिकेट/डिप्लोमाधारक अथवा B.Ed, NTT डिग्री धारक व **स्नातक अभ्यर्थियों** को वरीयता दी जाएगी।

*दायित्व* (घ) बच्चों की शिक्षा के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा शिक्षा अनुदेशकों की वार्षिक समीक्षा जिला समिति द्वारा बच्चों के अध्ययन में दक्षता के आधार पर की जाएगी।

(च) शिक्षकों द्वारा प्रत्येक माह के लिए एक शिक्षण प्लान भी तैयार किया जाएगा।

(छ) विद्यालयों को बाल मित्र विद्यालय का स्वरूप प्रदान करने हेतु विद्यालय के अंदर आवश्यक वातावरण तैयार करेंगे।

(ज) विद्यालय स्तर पर नियमित शिक्षक अभिभावक संघ की बैठकें आयोजित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(झ) मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य सेवानिवृत्त शिक्षक की सेवा भी ली जा सकती हैं।

4(ii) <u>व्यवसायिक अनुदेशक</u>

| | |
|---|---|
| *शैक्षिक योग्यता* | (क) किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से इण्टरमीडिएट के साथ दो वर्ष का व्यवसायिक प्रशिक्षण / शिक्षण कार्य |
| *अनुभव* | (ख) किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान में व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्य का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव |
| *वरीयता/प्राथमिकता* | (ग) किसी भी प्रकार के व्यवसायिक शिक्षण कार्य में सर्टीफिकेट/डिप्लोमाधारक व **स्नातक अभ्यर्थियों** को वरीयता दी जाएगी। |
| *दायित्व* | (घ) परियोजना निदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे। |
| | (च) बच्चों को कला, निर्माण-अभिरूचि, रचनात्मक कार्यो की ओर प्रेरित करने का कार्य करेंगे। |
| | (छ) बच्चों की अभिरूचि के अनुसार ही उन्हें व्यवसायिक क्षेत्र का चयन कर प्रशिक्षण देंगे। |
| | (ज) मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य सेवानिवृत्त व्यवसायिक शिक्षक की सेंवा भी ली जा सकती हैं। |

4(iii) <u>आया/हेल्पर</u>

| | |
|---|---|
| *शैक्षिक योग्यता* | (क) किसी भी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय से कक्षा-5 पास/अपना हस्ताक्षर करने में सक्षम। |
| *दायित्व* | (ख) विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा बच्चों को पानी पिलाना, बच्चों की देख-भाल, सुरक्षा तथा विद्यालय स्टाफ के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उत्तरदायी होंगे। |

4(iv)<u>क्लर्क (विद्यालय स्तर पर)</u>

| | |
|---|---|
| *शैक्षिक योग्यता* | (क) किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण। |
| *अनुभव* | (ख) किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय/सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में क्लर्क के रूप में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। |
| *वरीयता/प्राथमिकता* | (ग) हिन्दी व अंग्रजी कम्प्यूटर टंकण के जानकार अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। |
| *दायित्व* | (घ) परियोजना निदेशक के प्रति उत्तरदायी होंगे। |
| | (च) **<u>बच्चों को विद्यालय लाने</u>**, पोषाहार की व्यवस्था करने, बच्चों का उपस्थिति पंजिका तैयार करने, छात्रवृत्ति पंजिका तैयार करने तथा विद्यालय का प्रत्येक माह का विवरण परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। |
| | (छ) शिक्षक/अभिभावक संघ की बैठक का कार्यवृत्त व उपस्थिति तैयार करना। |
| | (ज) सप्ताह में 01 दिन विद्यालय समय के उपरान्त परियोजना निदेशक को फील्ड आफीसर के माध्यम से सभी पंजिका अवलोकित कराना। |

***उपरोक्त सभी पदों(क्रमॉक 3 व 4 में वर्णित) पर 21-40 वर्ष के अभ्यर्थियों के चयन को प्राथमिकता दी जाए, तथा किसी भी पद के चयन हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन से एक चयन समिति का गठन कर लिया जाये तथा चयन समिति के द्वारा ही पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।***

5. <u>मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था:-</u>

(क) मध्यान्ह भोजन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) परियोजना निदेशक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (दोनो ही समिति के सदस्य है) आपसी समन्वय तथा जिलाधिकारी की अनुमति से पोषाहार के वितरण की व्यवस्था निर्धारित करेंगे तथा समय पर विद्यालयों पर मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करांने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(ग) भोजन सर्वशिक्षा अभियान के नियमानुसार प्रत्येक विद्यालय पर ही निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्तानुसार तैयार कराया जायेगा।

(घ) शहरी क्षेत्रों में जहॉं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन की वितरण व्यवस्था है, वहॉं यदि जिला समिति उचित समझती है, तो उस व्यवस्था को विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों पर लागू कर सकती है।

(च) यदि जिला समिति विद्यालयों पर अपनी वितरण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लेती है तो वहॉं 5 क्लर्क की समिति गठित कर मध्यान्ह भोजन हेतु अनाज उठाने, भोजन तैयार कराने व वितरण की अपनी व्यवस्था भी लागू कर सकती हैं। किन्तु यह समिति रोस्टर के अनुसार एक माह कार्य करेगी तथा अगले माह दूसरे 5 क्लर्क की समिति भोजन वितरण की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार प्रत्येक क्लर्क एक माह तक इस समिति का अनिवार्य रूप से सदस्य होगा।

(छ) बच्चों को उचित मात्रा एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु परियोजना निदेशक पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

## 6. भुगतान की व्यवस्थाः-

(क) सभी भुगतान चेक के माध्यम से किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी/अध्यक्ष एवं सचिव (उप /सहायक श्रम आयुक्त) के संयुक्त हस्ताक्षर से ही चेक जारी किये जायेंगे।

(ख) सभी भुगतान नियमानुसार अध्यक्ष/जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही किये जायेंगे।

(ग) जहॉं परियोजना निदेशक का कार्य उप/सहायक श्रम आयुक्त द्वारा सम्पादित किया जा रहा है वहॉं सचिव की हैसियत से वह चेक हस्ताक्षर करेंगे किन्तु परियोजना निदेशक की हैसियत से जिलाधिकारी से सभी भुगतान की पत्रावलियॉं अनुमोदित करायेगे।

(घ) जहॉं परियोजना निदेशक किसी अन्य विभाग के अधिकारी है, वहॉं व्यय अनुमोदन के पश्चात चेक हस्ताक्षर हेतु पहले सचिव फिर अध्यक्ष/जिलाधिकारी के पास हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(च) समस्त स्टाफ का बैंक खाता यथासम्भव एक ही बैंक में खोला जाये तथा सभी भुगतान एकल चेक अन्तरण के माध्यम से सुनिश्चित किए जाएंगे। इससे चेको की बचत होगी तथा जिलाधिकारी/अध्यक्ष का महत्वपूर्ण समय भी बचेगा।

(छ) बच्चों की छात्रवृत्ति बैंक खाते के माध्यम से ही दी जायेगी तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक मासिक/तिमाही में खातें में हस्तान्तरित कर पासबुक में प्रविष्टि दर्ज करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ज) किसी भी स्टाफ के मानदेय के भुगतान न होने/निर्धारित मानदेय धनराशि से कम होने आदि के लिये परियोजना निदेशक सीधे उत्तरदायी माने जायेंगे तथा उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी।

(झ) मासिक प्रगति विवरण (एम0पी0आर0) त्रैमासिक विवरण (क्यू0पी0आर0), वार्षिक विवरण (ए0पी0आर0) तथा आडिटेड बैलेन्सशीट समय से तैयार करने तथा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराने के लिये परियोजना निदेशक उत्तरदायी होंगे। यथासम्भव इनकी प्रतियॉं ई-मेल पर भी उपलब्ध करायी जाये जिन कार्यालय में कम्प्यूटर व इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है वहॉं ई-मेल पर सूचनाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

## 7. निरीक्षण की व्यवस्थाः-

(क) प्रत्येक माह विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का शत्प्रतिशत् निरीक्षण फील्डआफीसर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिये दो या अधिक फील्ड आफीसर हैं वहॉं रोस्टर की व्यवस्था परियोजना निदेशक द्वारा की जायेंगी।

(ख) फील्ड आफीसर अपनी नियमित निरीक्षण टिप्पणी परियोजना निदेशक को देंगे तथा परियोजना निदेशक उनकी निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर उनकी मासिक प्रगति विवरण (संक्षिप्त नोट) तैयार करेंगे तथा जिलाधिकारी/अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे। उसकी एक प्रति एम0पी0आर0के साथ श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) परियोजना निदेशक माह में 50 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण एक बार अवश्य करेंगे तथा फील्डआफीसर की निरीक्षण टिप्पणी से तुलनात्मक विवरण भी तैयार करेंगे जिससे क्रास चेकिंग हो सके।

(घ) जिलाधिकारी/अध्यक्ष माह में एक बार अन्य विभागीय अधिकारियों से आकस्मिक निरीक्षण कुछ चुने हुये विद्यालयों का करायेंगे तथा परियोजना निदेशक की टिप्पणी से क्रास चेक करेंगे।

(च) जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह अलग-अलग विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कराया जायेगा जिससे सभी विद्यालय स्टाफ पर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का नैतिक व नैसर्गिक दबाब बना रहेगा।

(छ) क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थापित सभी परियोजनाओं के कम से कम दस प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्यवाही हेतु निरीक्षण टिप्पणी सम्बंधित जिलाधिकारी एवं श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ज) वर्ष में कम से कम एक बार श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी परियोजना का निरीक्षण करेंगे तथा विद्यालयों की निरीक्षण टिप्पणी अपने सुझावों सहित श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेगें।

## 8. परियोजना स्टाफ/विद्यालय स्टाफ के अवकाशः-

(1)- केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये अवकाश जो केन्द्रिय विद्यालय पर लागू है, परियोजना के विद्यालय पर लागू माने जायेंगे किन्तु ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होंगे।

(2)- जिलाधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में जिलें हेतु स्वीकृत/निर्देशित अवकाश विद्यालयों पर लागू होंगे।

(3)- परियोजना कार्यालय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत अवकाश प्रभावी माने जायेंगे।

## 9. फील्ड आफीसर को देय यात्रा भत्ताः-

(1)- फील्ड आफीसर द्वारा परियोजना के अर्न्तगत नियमित निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में परियोजना में कार्यरत फील्ड आफीसर को अधिकतम धनराशि रूपया-2000/-(रू0 दो हजार मात्र) प्रतिमाह परिवहन भत्ते के रूप में उपलब्ध बजट में कार्यालय व्यय मद से दिया जा सकता है। परियोजना निदेशक उक्त परिवहन भत्ते के भुगतान से पूर्व फील्ड आफीसर द्वारा माह में किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या व निरीक्षण टिप्पणियॉ को भी संज्ञान में लेंगे।

(2)- यदि परियोजना से सम्बधित किसी भी बैठक में फील्ड आफीसर /एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिभाग किया जाता है और ऐसा करना अपरिहार्य है तो उक्त बैठक में भाग लेने हेतु सम्बधित को यात्रा भत्ते हेतु रेल के द्वितीय श्रेणी शयनयान का वास्तविक टिकट का मूल्य व रूपया-200/-(रू0 दो सौ मात्र) की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान परियोजना के कार्यालय व्यय मद से भुगतान किया जा सकता है। यदि बस से यात्रा की जाती है तो बस का वास्तविक किराया देय होगा।

## 10. अन्यः-

(क) परियोजना के संचालन के सम्बंध में सभी निर्णय जिला बाल श्रम उन्मूलन समिति के अनुमोदन से ही लिये जायेंगे।

(ख) जिला समिति कोई भी ऐसा निर्णय नही लेगी जो परियोजना के संचालन हेतु श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन तथा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के विपरीत हो।

(ग) यदि ऐसे दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्यवाही की जाती है तो उसके लिये परियोजना निदेशक को दोषी मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(घ) शिक्षा अनुदेशको सहित सभी परियोजना स्टाफ की नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा जिसमें पूर्व में परियोजना के अन्तर्गत अध्यापन का कार्य कर रहे स्टाफ को प्राथमिकता दी जायेगी।

(च) किसी भी स्टाफ की सेवा मौखिक रूप से समाप्त नही की जा सकेगी। कदाचार, विद्यालय न आना, अध्ययन न कराना, अपने दायित्वों का निर्वहन न करने आदि के निरन्तर दोषी पाये जाने वाले स्टाफ की संविदा नैसर्गिक न्याय का अनुपालन करते हुये समाप्त की जायेगी तथा संविदा समाप्त करने की तर्कसंगत निर्णय से उसे संसूचित किया जायेगा।

(छ) जहॉ गैर सरकारी संगठनों की संविदा समाप्त की जायेगी वहॉ पर भी विद्यालय स्टाफ की सेवायें ली जा सकेंगी यदि अन्यथा उनकी संविदा समाप्त करने का कोई कारण न हो।

(ज) जिस परियोजना में विद्यालयों की अवधि पूर्ण हो गयी है तथा सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है वहॉ यदि पुनः विद्यालय संचालित किये जाते है तो पूर्व के स्टाफ की सेवायें ली जा सकती हैं, यदि वो अपनी सेवा देने को तत्पर हों।

(झ) जिला समिति, यदि आवश्यक समझती है, तो विशेष बाल श्रमिक, विद्यालयों के संचालन, बच्चों के नैसर्गिक एवं सर्वांगीण विकास, बाल श्रम प्रथा उन्मूलन तथा जन-जागरण के उद्देश्य से अन्य दिशा-निर्देश भी तैयार कर सकती है यदि ऐसा दिशा-निर्देश, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन,एवं श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल न हों।

## 11. परियोजना के अंतर्गत जन-सहभागिता

(क) परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना के बजट में जन-जागरण की उपलब्ध धनराशि से स्थानीय प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जन-जागरण कार्यक्रम आयोजित कराया जाय।

(ख) यदि कोई गैर-सरकारी संगठन अपने वित्तीय स्त्रोतों से विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोई कार्यक्रम आयोजित कराना चाहते हैं तो ऐसे रचनात्मक कार्यों में उनका सहयोग प्राप्त किया जाए।

(ग) प्रायः यह देखा गया है कि कुछ विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के छात्र-छात्राओं को अपने फील्ड वर्क के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में कुछ माह तक कार्य करना पड़ता है। यदि किसी विश्वविद्यालय या संस्थान किसी विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा छात्र-छात्राओं के फील्ड वर्क हेतु अनुरोध किया जाता है तो ऐसे छात्र-छात्राओं का परियोजना के कार्यों में सहयोग लिया जा सकता है।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सभी परियोजना जिलों में प्रभावी होगा। उक्त दिशा-निर्देश समिति अथवा गैर-सरकारी संगठन द्वारा विद्यालय संचालन की स्थिति में यथावत होगा।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जिले में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सुचारू संचालन हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

29/07/11

(सीता राम मीना)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।